न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

दावा संख्या - 81/2018

1- चन्द्रावती विधवा रामसिंह आयु 65 वर्ष
2- कजोड़ पुत्र स्व० रामसिंह आयु 30 वर्ष
3- विनोद पुत्र स्व० रामसिंह आयु 28 वर्ष
4 - बलवीर पुत्र स्व० रामसिंह आयु 26 वर्ष
5 - संजय पुत्र स्व० रामसिंह आयु 23 वर्ष
6- अशोक पुत्र स्व० रामसिंह आयु 20 वर्ष

समस्त जातियान बंजारा निवासीयान रामजीपुरा पंचायत डागरवाड़ा तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर)

... वादीगण

बनाम

1- तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर
2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

... प्रतिवादीगण

- वादीगण अधिवक्ता - श्री कान्ताप्रसाद शर्मा
- प्रतिवादीगण - पैरोकार सरकार (तहसीलदार)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा - 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत रिकार्ड दुरस्ती

निर्णय दिनांक - 18/09/2018

वादीगण ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रिकार्ड दुरस्ती का पेश किया। वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि वादी सं० 1 के पति एवं वादी संख्या 2 लगायत 6 के

P.T.O →

पिता स्व० रामसिंह पुत्र भगतावत बंजारा निवासी रामजीपुरा पंचायत डांगरवाडा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर को भूमि हीन होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 05/06/1999 को 3 बीघा भूमि स्थायी रूप से आवंटित की गई। आवंटन पत्र में आवंटित भूमि का का ख०न० 603/2 लिखा गया था जिसमें 603 आदद हिन्दी अंको में लिखा गया। किन्तु /के बाद 2 अंग्रेजी में लिखा गया है। तथा 3 बीघा जमीन आवंटन का निर्णय दिनांक 5/6/99 को किया गया।

खसरा नम्बर 603 छीतर, कैलाश, मूलचन्द आदि के नाम खातेदारी में दर्ज है। तथा 703/2 सिवायचक बंजड़ है वादीगण का कब्जा ख०न० 703/2 रकबा 3 बीघा जमीन पर है। वास्तव में आवंटन के समय 703/2 खसरा नम्बर लिखा जाना चाहिये था लेकिन सहवन से 603/2 लिख दिया गया।

तहसीलदार जमवारामगढ़ ने हल्का पटवारी से जरिये क्रमांक /भू०अ०/03/4798 दिनांक 01/10/03 से रिपोर्ट ली गई। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर ख०न० 603 रकबा 3।।।)3 बारानी A छीतर, कैलाश, मूलचन्द पि० प्रभु, नाराणी बेवा प्रभु जाति बंजारा हि० बराबर के नाम दर्ज है। तथा ख०न० 603 पर उपरोक्त खातेदारों का कब्जा है ख०न० 703/2 रकबा 3 बीघा बारानी सिवायचक लगानी दर्ज है मौके पर ख०न० 703/2 पर जगो रामसिंह पुत्र भगतावत का कब्जा है, ख०न० 703 के बजाय 603 लिखा गया है जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

P.T.O →

उपखण्ड अधिकारी

(3)

इस प्रकार वादीगणों ने प्रस्तुत वाद पत्र के मद सं० 1 लगायत 11 में अंकित तथ्यों को लाईट करते हुए अनुतोष चाहा कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण रिकार्ड दुरुस्ती डिक्री किया जाकर आवंटन पत्र दिनांक 3/6/99 में ख०न० 603/2 के स्थान पर 703/2 दर्ज किया किया जावे तथा खतौनी जमाबन्दी ग्राम रामजीपुरा में ख०न० 703/2 सिवायचक के स्थान पर वादी का आवंटन व खातेदारी दर्ज की जावे।

उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा तलबी प्रतिवादीगणों को जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ उपस्थित हुए। तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्रांक/आर.एन.सी./8/180 दिनांक 10/9/18 के द्वारा जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में ख०न० 603 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा बारानी ए खातेदार छीतर, कैलाश, मूलचन्द पि० प्रभु जाति हरियाणा ब्राह्मण के नाम दर्ज है आवंटन दिनांक 3/6/99 के द्वारा प्रार्थना पत्र में ख०न० 603 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ग्राम रामजीपुरा व रिपोर्ट हल्का पटवारी में अलाटमेन्ट कमेटी के आदेश दिनांक 3/6/99 में ख०न० 603 में 3 बीघा भूमि का आवंटन किया है जबकि उक्त ख०न० 603 पूर्व से खातेदारी दर्ज है जिस पर खातेदारों का काब्जा है

आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 3/6/1999 को प्रार्थी रामसिंह पुत्र भगतावर जाति बंजारा ग्राम रामजीपुरा को ख०न० 603 में से 3 बीघा

P.T.O.

भूमि आवंटन की गई थी। ख०न० 703/2 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में रकबा 3 बीघा भूमि बारानी I खाता सं० 1 सिवायचक दर्ज है। जो वर्तमान में खाली है। आवंटन आदेश में दर्ज ख०न० 603 के बजाय 703/2 रकबा को शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में प्रस्तुत वाद पत्र के मद सं० 1 लगायत 11 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथित किया कि ग्राम रामजीपुरा डागंरवाडा में आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 5/6/99 सहवन से ख०न० 603 लिखा है उसके स्थान पर ख०न० 703/2 रकबा दुरुस्त किये जाने निवेदन किया।

पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपनी बहस में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि आवंटन कमेटी दिनांक 5/6/99 को प्रार्थी रामसिंह बंजारा को ख०न० 603 में से 3 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जो पूर्व से खातेदारी भूमि है ख०न० 703/2 सिवायचक भूमि है जो खाली है। आवंटन आदेश में दर्ज ख०न० 603 के बजाय 703/2 रकबा को शुद्ध किये जाना उचित बताया है

उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि सलाहकार आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 5/6/99 को प्रार्थी रामसिंह पुत्र भगतावर जाति बंजारा निवासी रामजीपुरा डागंरवाडा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर

D. 7.0.4

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(5)

को ख०नं० 603 में से 3 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। उक्त ख०नं० 603 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पूर्व खातेदार छीतर, कैलाश, मूलचन्द पि० प्रभु जाति हरियाणा ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख०नं० 703/2 रकबा 3 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज है आवंटन आदेश में सहवन से दर्ज ख०नं० 603/2 लिखा है जबकि ख०नं० 703/2 रकबा 3 बीघा लिखना चाहिये था। उक्त त्रुटि लिपिकीय भूल है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित व न्यायसंगत समझते हुए अतः बाद डिक्री किया जाकर बाढ़ ग्रस्त आराजी ख०नं० 603 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा बाके ग्राम रामजीपुरा डांगरवाड़ा तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) के स्थान पर ख०नं० 703/2 रकबा 3 बीघा दुरूस्त किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी दर्ज करना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़